



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक झालावाड़

E-mail id-deoole.jwr447@gmail.com

क्रमांक-जिशेइ/प्रशि/झा/मान्यता/12/05/14
प्रदर्शक पल्लोवन उप्राधीन संस्कृत

Fax/phone-07432-232283

दिनांक- 17-10-2011

मुद्रिती

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा -18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 11 के सुप नियम 4 के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके दिनांक 17-10-2011 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वात् पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं पल्लोवन उप्राधीन संस्कृत की दिनांक 7-भृष्णवृत्ति से दिनांक 31/5/2011 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त रवीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अध्याधीन है :-

1. मान्यता की मुख्य विस्तारणी नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा - 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन के लिए कोई वास्तविक विविधता नहीं है।

2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (उपाधि 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाधि 2) के उपाधिकारों का पालन करेगा।

3. विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ीस के कमज़ोर बर्गों और अलाभप्रद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4. पैशा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा -12 (2) के उपाधिकारों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा, ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक दैक्षण्य खाता रखेगा।

5. सोसायटी/विद्यालय किसी कोपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक के किसी रकीरिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, घर, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।

7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि-

(a) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में प्रवेश में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कापित नहीं किया जायेगा।

(b) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।

(c) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(d) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक को नियम -23 के अधीन अधिकथित निए अनुसार एक प्रमाण -पत्र प्रदान किया जायेगा।

(e) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाएगा।

(f) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा - 23(1) अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम आईताओं के साथ की जानी है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम आईताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम आईताएं अर्जित करें।

(g) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1)के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

(h) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोगित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय समूहित प्राधिकारी द्वारा अधिकारिक पाठ्यवर्धी के अधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेंगे।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा -19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेंगे।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा - 19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के गानकों और संनियनों को बनाए रखेंगे।

11. विद्यालयों के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं बलाई जाएंगी।

12. विद्यालय नवनो/अन्य स्वरचनाओं या कोडार्स्प्लॉय के प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।

13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा/राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित लोक न्यास द्वारा दलाया जा रहा है।

14. विद्यालय को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

15. विद्यालय के लेखों की चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झालावाड़ को भेजी जानी चाहिए। 25/9/2011/168 दिनांक 17-10-2011

16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड क्रमांक 114/1/25/9/2011 है। कृपया इसे नोट करें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें। R-T-E/सो.पाटन/514/दि. 17-10-2011

17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समस्या सम्बन्ध पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान वीकानों/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा अपेक्षित है और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।